अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

पत्रांक 15/जी 1–01/2016
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि एवं अन्य बकाया भुगतान हेतु राज्यादेश संख्या 38 दिनांक 05.10.2016 द्वारा स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु उक्त राज्यादेश की कंडिका 12 एवं 13 में अंकित शर्त्त "विश्वविद्यालयों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति वित्तीय वर्ष 2015–16 तक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार से सामंजन होने के पश्चात की जा सकेगी". को शिथिल/संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिपरिषद् के दिनांक 27.09.2016 के निर्णय/स्वीकृति के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या 38 दिनांक 05.10.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि, जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल रूपये 2219,99,38,166/–(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 506,18,20,305/– (पाँच सौ छः करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।